

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

प्रधान कार्यालय : आर.डी.सी.- 20, राजेनगर पोस्ट बाक्स नं-110, गाजियाबाद (उ०प्र०)

दूरभाष-0120-2824884-86, 2824890 फैक्स-0120-2704891 E-Mail: info@zabighaziabad.com

पत्रांक: मु०का०/लेखा/2025-2026/ C 255

दिनांक 28/11/2025

शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि, गाजियाबाद।

समस्त शाखायें

विषय: बैंकिंग कानून(संशोधन) अधिनियम 2025 के अर्न्तगत जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं में नामांकन सुविधा के सम्बन्ध।

उपर्युक्त विषयक बैंक मुख्यालय के पत्रांक सी-222 ए दिनांक 01 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं में नामांकन सुविधा हेतु भारत सरकार के गजट के अध्याय-3 में बिन्दु संख्या-10, 11, 12 एवं 13 में किये गये संशोधनों के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 2025 से शाखा के पुराने खातों में ग्राहक की मांग पर एवं नये खुलने वाले जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं में नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं,

अग्रेतर भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या-सीजीडीएल-अ. 27102025-267177 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के माध्यम से जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं में नामांकन करने हेतु संशोधित नया प्रारूप प्रेषित करने के साथ-साथ कतिपय निर्देश भी प्रेषित किये गये हैं।

अतः भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या-सीजीडीएल-अ 15042025-262453 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 गजट नोटिफिकेशन संख्या-सीजीडीएल-अ. 27102025-267177 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पत्रांक आरबीआई/2025-26/95 डीओआर, एमसीएस आरईसी 59/01.01.003/2025-26 दिनांक 28 अक्टूबर 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों को संकलित कर एवं नामांकन हेतु उपलब्ध कराये गये नये फार्म के कम में बैंकिंग विनियमन अधिनियम -1949 की धारा 35ए (सहकारी बैंकों पर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित) धारा-45 ZA, 45ZC एवं 45ZE में किये गये संशोधन के अनुसार निम्नवत निर्देश किये जाते हैं।

बिन्दु संख्या-10

बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 की धारा -45 ZA में संशोधन (डिपॉजिट खातों हेतु)

- उपधारा (1) में "एक व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "एक या अधिक व्यक्ति, जो 4 से अधिक न हो" या तो कमिक रूप से या एक साथ शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।
- उपधारा (1) में संशोधन के पश्चात निम्नलिखित उपधारायें जोड़ी जाती हैं।
 - उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में कमिक रूप से नामांकन किया जाता है, वहाँ नामांकन धारा 45-ZG में निर्दिष्ट प्राथमिकता के कम में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में प्रभावी होगा।
 - उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में एक साथ नामांकन किया जाता है, वहाँ नामांकन ऐसे सभी व्यक्तियों के पक्ष में उस अनुपात में प्रभावी होगा जिस अनुपात में वह घोषित किया गया है और निम्नलिखित नियम व शर्तों लागू होगी अर्थात्-

- a. नामांकन 4 से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जायेगा।
- b. नामांकन में प्रत्येक नामिनी के पक्ष में जमा राशि का अनुपात स्पष्ट रूप से प्रतिशत में उल्लिखित किया जायेगा।
- c. नामांकन जमा की सम्पूर्ण राशि पर किया जायेगा।
- d. यदि किसी नामिनी की मृत्यु बैंकिंग कम्पनी में जमा राशि प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है, तो केवल ऐसे नामिनी के सम्बन्ध में नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा और मृतक नामिनी के पक्ष में नामित की जाने वाली राशि को इस प्रकार माना जायेगा, मानो जमा के उस भाग के सम्बन्ध में नामांकन नहीं किया गया था।
यदि कोई भी अन्य नामांकन जो उक्त खण्ड के ए से सी में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं करता है वह अवैध होगा।

बिन्दु संख्या-11

बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 की धारा -45 ZC में संशोधन (सेफ कस्टडी में रखे सामान हेतु)

उपधारा (1) में (एक व्यक्ति)शब्द के स्थान पर क्रमशः एक या एक से अधिक व्यक्ति, जो 4 से अधिक न हो को प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिन्दु संख्या-12

बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 की धारा -45 ZE में संशोधन (सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हेतु)

उपधारा (1) में निम्नलिखित संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है।

(1) जहाँ एक या अधिक व्यक्ति किसी बैंकिंग कम्पनी में लॉकर किराये पर लेते हैं, ऐसा लॉकर किसी बैंकिंग कम्पनी के सुरक्षित जमा तिजोरी में हो अथवा अन्यत्र स्थित हो वह व्यक्ति (लॉकर खाताधारक) या जैसा भी मामला हो सभी व्यक्ति मिलकर एक या अधिक व्यक्तियों परन्तु 4 से अधिक नहीं को क्रमिक रूप से नामिनी बना सकते हैं। जहाँ एक लॉकर खाताधारक या सभी लॉकर खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में जिसे बैंकिंग कम्पनी स्थित लॉकर को संचालित एवं लॉकर में रखी सामग्री को निकालने की स्वतंत्रता दी जाती है।

बिन्दु संख्या-13

बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 की धारा-45 ZF के बाद 45 ZG को जोड़ा गया है, जिसका विवरण निम्नवत है।

45 ZG (1) जहाँ नामांकन धारा 45 ZA की उपधारा (1) या धारा 45 -ZC उपधारा (1) धारा 45-ZE की उपधारा (1) के अधीन क्रमिक रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है, वहाँ नामांकन निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में प्रभावी होगा।


- a. प्रथम नामिनी का नामांकन तभी प्रभावी होगा जब वह नामिनी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बाद जीवित हो जिसने नामांकन किया था।
- b. दूसरे नामिनी का नामांकन प्रथम नामिनी की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होगा।
- c. नामांकन क्रम में नीचे वाले किसी भी नामिनी का नामांकन उन सभी नामिनियों की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होगा, जिनके नाम नामांकन क्रम में ऊपर हैं।
- (2) जहाँ नामांकन के क्रम का उल्लेख नहीं किया गया है, वहाँ व्यक्तियों को उस क्रम में नामांकित समझा जायेगा, जिसमें उनके नाम लिखे गये हैं।
- (3) इस धारा के उपबन्ध धारा 45-ZA की उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में एक साथ किये गये नामांकन पर लागू नहीं होगा।

नामांकन सुविधा हेतु सामान्य निर्देश:-

- ग्राहक को नामांकन सुविधा की उपलब्धता एवं उद्देश्य से अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में दावा प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बिना किसी कानूनी जटिल प्रक्रिया के नॉमिनी की धनराशि सुचारु एवं शीघ्र हस्तान्तरित हो सके।
- यदि ग्राहक को नामांकन सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद, वह अपने खाते में नामांकन नहीं करना चाहता है तो उक्त हेतु खाता खोलते समय ग्राहक से लिखित घोषणा प्राप्त करनी होगी कि उसे नामांकन की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्राहक लिखित घोषणा देने से इनकार करता है तो उक्त तथ्य को शाखा द्वारा खाता खोलने के फॉर्म पर रिकॉर्ड किया जाये।
- किसी ग्राहक द्वारा नामांकन करने से यदि इनकार किया जाता है तो शाखा द्वारा इस आधार पर खाता खोलने से मना नहीं किया जाये।
- यदि किसी व्यक्ति को भुगतान किसी अन्य कानून के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किये गये नामांकन के आधार पर किया जाता है तो शाखा द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैध मुक्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
- शाखा द्वारा नामांकन को पंजीकरण करने, निरस्तीकरण करने एवं परिवर्तन करने हेतु निर्धारित नामांकन फॉर्म का उपयोग किया जायेगा एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जाये।
- शाखा द्वारा नामांकन सुविधा की रसीद/पावती ग्राहक को प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राहक द्वारा किया गया नामांकन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार हों
- ग्राहक द्वारा नामांकन सम्बन्धी कार्य हेतु किये गये अनुरोध के कम में पंजीकरण करने निरस्तीकरण करने एवं परिवर्तन करने हेतु पावती/रसीद ग्राहक को अधिकतम तीन कार्य दिवसों में प्रदान करनी होगी, अर्थात् ग्राहक द्वारा किये गये अनुरोध को तीन कार्य दिवसों में पूरा करना होगा। यदि ग्राहक का नामांकन अनुरोध अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो शाखा द्वारा ग्राहक को तीन कार्य दिवसों में लिखित रूप से सूचित करना होगा कि किस कारण से उनके नामांकन अनुरोध को अस्वीकार किया गया है।
- खाता पासबुक/खाता विवरण एवं सावधि निक्षेप (एफडी/आरडी) के मुख्य पृष्ठ पर नामांकन पंजीकरण से सम्बन्धित कॉलम में "नामांकन पंजीकृत" अंकित किया जाये।
- शाखा द्वारा नामांकन की सुविधा व्यक्तिगत लोगों को ही प्रदान की जायेगी, न कि किसी संस्था को।
- नामांकन सुविधा के लाभ के सम्बन्ध में शाखा द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये एवं समय-समय पर उक्त के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाया जाये।
- शाखा में कार्यरत समस्त कार्मिकों को नामांकन सुविधा के उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शाखा के पुराने खातों में ग्राहक की मांग पर एवं नये खुलने वाले निक्षेप खातों एवं लॉकर खातों में उपरोक्त संशोधन के अनुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।


(संदीप सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नामांकन फार्म का प्रारूप

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेगासॉफ्ट सिस्टम प्रा० लि० सीबीएस वेन्डर, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि डिपॉजिट खातों एवं सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में उपरोक्तानुसार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सी०बी०एस० सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन तथा सीबीएस रिपोर्ट में उक्त की रिपोर्ट तैयार कराना साथ ही ग्राहको को ए०एम०एस० के माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित करें।
2. श्री सौरभ गंगवार प्रबंधक (आईटी) जिला सहकारी बैंक लि० मुख्यालय गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ परिपत्र को बैंक की वेबसाइट में अपलोड करायें।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद,।
4. समस्त उपमहाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद।
5. नाजिर बैंक जिला सहकारी बैंक लि० मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि निक्षेप खातों के नामांकन फार्म में उपरोक्तानुसार संशोधन कर शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रबंध निदेशक उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ०प्र० गाजियाबाद।

(संदीप सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Zila Sahkari Bank Ltd, Ghaziabad

FORM FOR NOMINATION, CANCELLATION OF NOMINATION AND VARIATION OF NOMINATION IN RESPECT OF THE BANK DEPOSITS

(See Section 45 ZA, read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 and rules 2 to 4 of the Banking Companies (Nomination) Rules, 2025)

Bank Name--- Zila Sahkari Bank Ltd, Ghazizbad

Branch-----

1. Bank Customer Details:

* Name Of Depositors (Individual/Joint Holder):

1. ----- Customer ID:-----
2. ----- Customer ID:-----
3. ----- Customer ID:-----
4. ----- Customer ID:-----

* Account Number of bank Customer-----

* Nature of deposit-----

Distinguishing Number-----

Additional details if any-----

2. Nomination Details

I/ We the undersigned hereby nominate the Following individual (s) to receive the amount of the deposits(s) above mentioned in the event of my/our death:

S.No	Name of Nominee	Address	E mail/ Mobile Number if any	Relationship with bank. Customer if any.	Age	Order of priority in case of Successive nomination.	Proportion fo Amount of deposit in percentage in case of Bank deposit.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1.						First Nominee	
2.						Second Nominee	
3.						Third Nominee	
4.						Fourth Nominee	

Note:-

- (i) Simultaneous nomination refers to nomination of one more nominee but not exceeding four with defined percentage and total amounting to 100%.
- (ii) Successive nomination refers to nomination in favour of one individual in order of priority and is also limited to four nominees and the nominee lower in the order shall become effective only after the death of the nominee in higher order.
- (iii) In respect of the deposits out of column (G) and (H) only one column is to be filled.
- (iv) Total percentage across all nominees in column (H) must equal 100%.
- (v) If more than one individual is nominated, the order of priority shall be deemed to be in order in which names appear in column(B)

3. Cancellation of Nomination/Variation of Nomination

I/We-----the undersigned hereby declare that the above nomination is made in supersession of all the previous nominations, if any made by me/us in respect of the deposit described above. I/We declare that the above nomination has the effect of cancelling previous nominations in respect of the bank deposit

4. Guardian Details (if any nominee is a minor)

Seral Number	Name of Nominee	Name of Guardian	Relationship with Nominee.	Address	E mail/ Mobile Number of guardian if any.
1					
2					
3					
4					

5. Declaration & Signature

I/We declare that the information provided above is true to the best of my/our knowledge and belief. I/We understand that this nomination will supersede any previous nominations for the above-mentioned Accounts (s)

Date:-

@ In case of individual who cannot read and/or write, the signature means thumb-impression of such individual, which should be attested by two witnesses.

- 1. Name of Witness----- Singature:-----
- 2. Name of Witness----- Singature:-----

Acknowledgement (for bank Use Only)

Received Nomination form from:-----

Customer ID-----

Date of Receipt-----

Recorded on CBS/ Core Bankig System: Yes/No

Reference Number-----

Signature of bank Official-----

Name & Designation-----

Seal & Date-----

Instruction for bank Customer:

- 1. You may nominate more than one individual with clearly defined share percentages.
- 2. You may appoint successive nominees. In case of successive nomination nomination shall be effective only in favour of one individual in order of priority in which their name appears in above table of nomination details. It may be noted that nomination of any nominee lower in the order of nomination shall become effective only after the death of all the nominees whose names are higher in the order of nomination .
- 3. Nomination is applicable to all bank account detailed above unless otherwise specified.
- 4. If Deposit is made in the name,of minor, this nomination form should be signed by an individual lawfully entitled to act on behalf of the minor.

Zila Sahkari Bank Ltd, Ghaziabad

FORM FOR NOMINATION, CANCELLATION OF NOMINATION AND VARIATION OF NOMINATION IN RESPECT OF THE BANK DEPOSITS

(See Section 45 ZA, read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 and rules 2 to 4 of the Banking Companies (Nomination) Rules, 2025)

Bank Name – Zila Sahkari Bank Ltd, Ghazizbad

Branch-----

1. Bank Customer Details:

* Name Of Hirer of a locker:

1-----Customer ID:-----

2-----Customer ID:-----

3-----Customer ID:-----

4-----Customer ID:-----

*lockert Number of bank Customer-----

*Nature Size of Locker-----

Distinguishing Number-----

Additional details if any-----

2. Nomination Details

I/ We the undersigned hereby nominate the Following individual(s) to receive the amount of the articles in safe custody or the contents of the Locker in respect of the particulars above mentioned in the event of my/our death

S.No	Name of Nominee	Address	E mail/ Mobile Number if any.	Relationship with bank Customer, if any	Age	Order of priority in case of successive nomination.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.						First Nominee
2.						Second Nominee
3.						Third Nominee
4.						Fourth Nominee

Note

- (i) Successive nomination refers to nomination in favour one individual in order of priority and is also limited to four nominees, and the nominee lower in the order shall become effective only after the death of the nominee in the higher order.

(ii) If more than one individual is nominated the order of priority shall be deemed to be in order in which names appear in column (B)

3. Cancellation of Nomination/Variation of Nomination

I/We-----the undersigned hereby declare that the above nomination is made in supersession of all the previous nominations, if any, made by me/us in respect of article in safe custody/locker described above. I/We declare that the above nomination has the effect of cancelling previous nominations in respect of the bank article in custody of bank/locker

4. Guardian Details (if any nominee is a minor)

S.No.	Name of Nominee	Name of Guardian	Relationship with Nominee	Address	E mail/ Mobile Number of guardian if any.
1					
2					
3					
4					

5. Declaration & Signature

I/We declare that the information provided above is true to the best of my/our knowledge and belief. I/We understand that this nomination will supersede any previous nominations for the above-mentioned safe custody/Locker

@ In case of individual who cannot read and/or write, the signature means thumb-impression of such individual, which should be attested by two witnesses.

3. Name of Witness----- Singature:-----

4. Name of Witness----- Singature:-----

6. Acknowledgement (for bank Use Only)

Received Nomination form from:-----

Customer ID-----

Date of Receipt-----

Recorded on CBS/ Core Bankig System: yes/No

Reference Number-----

Signature of bank Branch Manager-----

Name & Designation-----

Seal & Date-----

Instruction for bank Customer:

1. You may nominate more than one individual with clearly defined share percentages.
2. You may appoint successive nominees. In case of successive nomination nomination shall be effective only in favour of one individual in order of priority in which their name appears in above table of nomination details. It may be noted that nomination of any nominee lower in the order of nomination shall become effective only after the death of all the nominees whose names are higher in the order of nomination.
3. Nomination is applicable to all bank account detailed above unless otherwise specified.
4. If article is left in safe custody in the name of minor or Locker is solely hired in the name of minor, this nomination form should be signed by an individual lawfully entitled to act on behalf of the minor.